संख्या:183/2022/615/35-4-2022/001-35-4099/290/2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 20 जून,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बिजनौर में शासनादेश संख्या-383/2021/2247/35-4-2021, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 द्वारा जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-बढ़ापुर में सड़क निर्माण से संबंधित कुल 28 कार्यों की रू0 302.69 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 277.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा पत्रांक:149/288/ग्रा0अ0वि0 /त्वरित/द्वि0किश्त/2022-23, दिनांक 23 मई, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत किये गये 28 कार्यों के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जाना इंगित करते हुए 07 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत 07 कार्यों की लागत रू. **130.10** लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू0 105.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. **25.10** लाख (रूपये पच्चीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	**अनुमोदित लागत**	**प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम नवाबपुरा में पिताम्बर के घर से चतरसिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	20.14	15.00	5.14
2	ग्राम रायपुर में रायपुर से नजीबाबाद रोड़ से विक्रम के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	17.15	15.00	2.15
3	ग्राम सुल्तानपुर खास में कृपाल सिंह के मकान से पण्डित त्रिलोक चन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	15.20	15.00	0.20
4	ग्राम माधोवाला टाण्डा में मदन के घर से कैलाश के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	18.81	15.00	3.81
5	ग्राम विजयनगर में मेन रोड से बलराम सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	19.76	15.00	4.76
6	ग्राम पुरैनी में मुन्नी की चक्की से रेलवे स्टेशन की तरफ सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	21.05	15.00	6.05
7	ग्राम पुखोवाला में प्रेम कुमार के मकान से फकीर साहब बाबा के मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	17.99	15.00	2.99
	योग:	**130.10**	**105.00**	**25.10**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,10,000 (रूपये पच्चीस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखा शीर्षक** 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
विशेष सचिव।

संख्या:183/2022/615/35-4-2022/001-35-4099/290/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बिजनौर।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बिजनौर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in